राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 19976 दिनांक :- 08/09/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीया मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2023 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है:–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 का लगभग आधे से अधिक समय निकल जाने के पश्चात् भी स्वीकृत कार्यों की संख्या वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में काफी कम है। इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जावे।
2. योजना की समीक्षा बैठक नियमित रूप से करें और जहाँ श्रमिकों का नियोजन कम हो गया है। उसे बढ़ाये एवं नियमित पर्यवेक्षण करें। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति आगामी पखवाड़े में आवश्यक रूप से करे।
3. योजना में नियोजित श्रमिक संख्या की अपेक्षा वास्तविक उपस्थिति कम है, इसे अविलम्ब बढ़ाये जाने के प्रयास करे।
4. अधिक से अधिक कार्यों को जिला कलक्टर से स्वीकृत कराये एवं मौके पर शुरू करवाये जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक आमजन को मिल सके।
5. जहां पर वृक्षारोपण प्रगति शून्य है एवं नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है वे निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त करें।
6. जिन नगरीय निकायों की वार्षिक कार्य योजना 2023–24 जिला परियोजना समन्वयक से अनुमोदित नहीं है, वहां पर अविलम्ब निर्धारित प्रपत्रानुसार तैयार कराकर अनुमोदित करावे।
7. लाईन डिपार्टमेन्ट यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा शहरी निकायों के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यो को चिन्हित कर स्वीकृत करवाकर अविलम्ब शुरू करावें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करावें एवं साथ ही माननीया मुख्य सचिव महोदया की आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का श्रम करावें।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 19977-20277 दिनांक :- 08/09/2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक, (IRGY), निदेशालय, जयपुर, राजस्थान।
6. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त, राजस्थान।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Document certified by Hridesh Kumar Sharma <hridesh_05@yahoo.com>.

Digitally Signed by Hridesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :08-09-2023 11:33:12